

न्यायालय अति.जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 413/2020 आवंटन निरस्त

- | | | |
|--|-------|---|
| 1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार
माण्डलगढ़ | बनाया | 1. सुरजा पिता उगमा निवासी मोई
2. शान्ति पिता उगमा भील निवासी मोई
3. जमनी बेवा उगमा भील निवासी मोई
4. घीसी पुत्री रामा भील निवासी मोई तहसील
माण्डलगढ़ जिला भीलवाडा |
|--|-------|---|

—प्रार्थी

—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान मध्यम व लघु सिंचाई परियोजना क्षेत्र में
सरकारी भूमि आवंटन नियम 68 के नियम 17(अ)

उपस्थित —

1. राजकीय अधिवक्ता — प्रार्थी की ओर से
2. विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नहीं — एक तरफा कार्यवाही

निर्णय

दिनांक 11.11.2020

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान मध्यम व लघु सिंचाई परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि आवंटन नियम 68 के नियम 17 (अ) विरुद्ध विपक्षी के प्रेषित कर निवेदन किया कि विपक्षी को ग्राम मोई पटवार हल्का जालिया की आ.न. 348/310 रकबा 1.10 बीघा भूमि का आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गयी। आवंटि के नाम गैर खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। आवंटि (अप्रार्थी) द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं कर उल्लंघना की है। आवंटित भूमि पर आवंटि का मौके पर कब्जा व काश्त नहीं है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 27.10.2020 को इस न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया। विपक्षीगणों को सम्मन नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगण बावजूद सम्मन तामील के उपस्थित नहीं। विपक्षीगणों के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती हैं।

प्रकरण में प्रार्थी की ओर से राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई। राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि विपक्षी को ग्राम मोई पटवार हल्का जालिया की आ.न. 348/310 रकबा 1.10 बीघा भूमि का आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गयी। आवंटि के नाम गैर खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। आवंटि (अप्रार्थी) द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं कर उल्लंघना की है। आवंटित भूमि पर आवंटि का मौके पर कब्जा व काश्त नहीं है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन



अति. जिला कलक्टर

निरस्त किया जाकर बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों का भलीभांति परीक्षण किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। जिसके उपरान्त पाया कि पटवार हल्का की मौका पर्चा रिपोर्ट में अंकित किया है कि ग्राम मोई के आ.न. 348/310 रकबा 1.10 बीघा भूमि मौके पर आवंटी का कब्जा काशत नहीं है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गयी है। उक्त विवेचन अनुसार आवंटी द्वारा राजस्थान मध्यम व लघु सिंचाई परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि आवंटन नियम 68 के नियम 17 (अ) की पालना नहीं की जाना स्पष्ट होता है। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र राजस्थान मध्यम व लघु सिंचाई परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि आवंटन नियम 68 के नियम 17 (अ) स्वीकार योग्य ठहरता है। अतएव—

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान मध्यम व लघु सिंचाई परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि आवंटन नियम 68 के नियम 17 (अ) बाबत भू-आवंटन निरस्तीकरण का स्वीकार कर विपक्षीगण के नाम आवंटित ग्राम मोई के आराजी नं. 348/310 रकबा 1.10 बीघा भूमि आवंटन को खारिज किया जाता है एवं तहसीलदार माण्डलगढ़ को निर्देश दिये जाते हैं कि ग्राम मोई की आ.न. 348/310 रकबा 1.10 बीघा भूमि को कब्जे सरकार लेकर राजस्व रिकार्ड में बिलानाम दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार माण्डलगढ़ को संप्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 19.11.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(रकेश कुमार)
अति. जिला कलक्टर
अति. जिला कलक्टर
भिलवाड़ा